

8876
20/2/18

म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल


// कार्यालयीन आदेश //

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, के 228 वे सम्मिलन के पद संख्या 08 पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार भविष्य में म.प्र. शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में जमा राशियों पर जारी ब्याज दर यथावत् मण्डल में लागू रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु म.प्र. शासन, वित्त विभाग, बेबसाईट के पत्र क्रमांक एल-9-3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 16/01/2018 द्वारा राज्य शासन में सामान्य भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधि/पटवारी विशेष भविष्य निधि/में निम्नानुसार ब्याज दर निर्धारित की गई हैं:-

क्रमांक	ब्याज	प्रतिशत
01.	तृतीय त्रैमास (01/10/2017 से 31/12/2017)	7.8
02.	चतुर्थ त्रैमास (01/01/2018 से 31/03/2018)	7.6

तदनुसार सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि के लिए उक्त ब्याज दर दिनांक 01/10/2017 से 31/03/2018 हेतु मण्डल में भी यथावत् लागू की जाती हैं।


मुख्य लेखा अधिकारी,
म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधो.वि. मण्डल
मुख्यालय भोपाल
19/02/18